

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- रा०कृ०वि०यो०को०-08/2018- 3084 /कृ०,पटना, दिनांक 13/8/2018  
प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु कुल 249.9832 लाख रुपये (दो करोड़ उनचास लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ बीस रुपये) (सामान्य वर्ग के लिए 207.4946 लाख रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 39.9966 लाख रुपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2.492 लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या--1778 दिनांक-10.04.2018 को रद्द कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण योजना के तहत धातु कोठिला वितरण हेतु कुल 249.9832 लाख रुपये (दो करोड़ उनचास लाख अट्ठानवे हजार तीन सौ बीस रुपये) (सामान्य वर्ग के लिए 207.4946 लाख रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 39.9966 लाख रुपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2.492 लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अनाज को सुरक्षित रखने के लिए धातु कोठिला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना ली गयी है। सुरक्षित भंडारण से अनाज का नुकसान नहीं होगा तथा खाद्य सुरक्षा के महती लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के द्वारा 5 क्वी० क्षमता के धातु कोठिला का संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसकी प्राक्कलित राशि 2225.00 रुपये है। प्राक्कलन की प्रति अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है। 5 क्वी० क्षमता के धातु कोठिला के लिये सामान्य किसानों को मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 890.00 रु० प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति तथा जन जाति श्रेणी के किसानों को मूल्य का 56 प्रतिशत अधिकतम 1246.00 रु० अनुदान अनुमान्य किया जायेगा। धातु कोठिला 0.60mm ISI G.I. sheet से निर्मित होना चाहिए। जिला कृषि पदाधिकारी मानक प्राक्कलन के अनुसार धातु कोठिला का निर्माण/बिक्री करनेवाले निर्माता/विक्रेता को पंजीकृत/चिन्हित करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। पंजीकरण में पारदर्शिता बरती जाएगी एवं अधिक से अधिक विक्रेताओं को पंजीकरण का अवसर देने की जिम्मेवारी जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्प) इसका अनुश्रवण करेंगे।

3. पूर्व के वर्षों में इस योजना अंतर्गत लाभान्वितों का चयन वर्तमान वर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। किसानों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया पंचायत समिति सदस्य/प्रखंड प्रमुख आदि) से अनुशंसा प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त करनी होगी। "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर कृषक का चयन किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को एक धातु कोठिला से अधिक पर अनुदान देय नहीं होगा। धातु कोठिला पर अनुदान के लिए इच्छुक किसानों से प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी के द्वारा आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। किसानों से किसान मेला एवं विशेष कैम्प यथा किसान विकास शिविर आदि में भी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा आवेदक किसान को आवेदन क्रमांक अंकित कर प्राप्ति रसीद दी जायेगी। संबंधित कर्मी के द्वारा एक सत्यापित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। जिला कृषि कार्यालय में एक समेकित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। आवेदन की जाँच प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा की जायेगी। आवेदन के जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूरी कर ली जायेगी। ऐसे सभी आवेदकों,

8

42



जाँचोपरान्त जिनका आवेदन अनुदान के लिये उपयुक्त पाया जाता है, को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। इस स्वीकृति पत्र में किसान को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। योजना के लिए पात्र किसान स्वीकृति पत्र के आलोक में अपनी पसंद से इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत/चिन्हित धातु कोटिला विक्रेताओं के किसी प्रतिष्ठान से धातु कोटिला क्रय कर सकेंगे। क्रय किये गये धातु कोटिला का सत्यापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मी धातु कोटिला के बिक्री संबंधी कैंशमेमो पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। किसान इसी कैंशमेमो के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान का दावा समर्पित करेंगे। कैंशमेमो में धातु कोटिला का मेक/मॉडल का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जिलों के लिए स्वीकृत राशि से यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुकों में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मद में आवंटित राशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित हो। आवेदन/जाँच हेतु विहित प्रपत्र एवं स्वीकृति पत्र/दावा प्रपत्र/सत्यापन प्रपत्र की प्रति अनुसूची-3 तथा 4 के रूप में संलग्न है।

4. प्रमंडल अंतर्गत किसी जिला में धातु कोटिला का डीलर नहीं है तो निकटवर्ती जिला के डीलर को ऐसे जिलों में धातु कोटिला वितरण हेतु प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) संबद्ध करेंगे ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि हो सके। डीलर को संबद्ध जिला में जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देशानुसार धातु कोटिला उपलब्ध कराना होगा।

5. किसी भी परिस्थिति में धातु कोटिला के स्वीकृत भौतिक लक्ष्य से अधिक का वितरण नहीं किया जायेगा। यदि अधिक वितरण किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

6. जिलों के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे एवं अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि की सीमा में आवश्यकतानुसार राशि की निकासी एवं व्यय कर सकेंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हस्तगत करायी जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले मेला/कैम्प में पंचायत प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी की अनुशंसा अथवा उद्ब्यय में वृद्धि होने की स्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संशोधित किया जा सकेगा। मांग के अनुसार लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए लक्ष्यों का अन्तर जिला संशोधन प्रशासी विभाग के द्वारा किया जा सकेगा।

10. योजना का बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090106, विषय शीर्ष-33-सब्सिडी-0106.33.01 सब्सिडी	4150.00	207.4946
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890106, विषय शीर्ष-33-सब्सिडी-0106.33.01 सब्सिडी	800.00	39.9966
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960134, विषय शीर्ष-33-सब्सिडी-0134.33.01 सब्सिडी	50.00	2.492
योग	5000.00	249.9832



11. लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। ऐसे कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-08/2018 के पृ०सं०-19/टि. पर दिनांक-25.07.2018 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-08/2018 के पृ०सं०-21/टि. पर दिनांक-03.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
*D. D. Singh*  
10.8.18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना दिनांक 13/8/2018

ज्ञापांक- 3084

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*D. D. Singh*  
10.8.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 13/8/2018

ज्ञापांक- 3084

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग (बजट)/खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*D. D. Singh*  
10.8.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 13/8/2018

ज्ञापांक- 3084

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*D. D. Singh*  
10.8.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 13/8/2018, 2018

ज्ञापांक- 3084

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के सभी संबंधित पदाधिकारीगण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

*D. D. Singh*  
10.8.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

